

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक :- 9(सू०अधि०) 297/2013 6218 /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक- 03-12-15
प्रेषक,

सियाशरण पासवान,
संयुक्त सचिव-सह-प्रथम अपीलीय पदाधिकारी।

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य सूचना आयोग,
राँची।

विषय :- अपील संख्या- 1718/2014 सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत
श्री रोहिदास बेदिया, रामगढ़ को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- जनसूचना पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक- 4419 दिनांक-
24.08.2015


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि प्रासंगिक मामला स्कूली शिक्षा एवं
साक्षरता विकास विभाग तथा उपायुक्त रामगढ़ को RTI की धारा 6 (3) के तहत हस्तांतरित
किया गया है।

विभागीय जनसूचना पदाधिकारी दिनांक- 04.12.2015 को अवकाश पर हैं
इसलिए अगली तिथि को उपस्थित हो सकेंगे।

कृपया सूचनार्थ।

विश्वासभाजन,


(सियाशरण पासवान)
संयुक्त सचिव